

२१/१२

अधिवक्तागण उपरिधत। वरुण शुनी गरीब
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण है
प्रतिवादी सं. १ का जवाब बन्द है। पिताजी
प्रकरण में दिनांक २५/०६/२०२० की अर्थात्
विषयाज्ञा को मूलवाद के विधि तक स्वीकार
किया जाता है। पत्रावली निधीत होकर नम्बर
होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।



उपस्थित अधिवक्ता (राजस्व)
श्री कर्णाट नगर